




## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विधि संख्या सं० 11 (11) / 2019-2020

दिनांक	आदेश फलक	अभिवृत्ति
29/8/19	<p>आदेश सं० श्री रवींद्र मिश्रा वी कवच मिश्रा, भूदा, धनबाद द्वारा दलील खारिज केश सं० 2201(11) 2018-17 में निबंधित दलील 6515/11.11.2016 खरीदगी भूमि है। जिसका हुए दाखिल खारिज में प्लॉट नं० 171 के स्थान पर प्लॉट नं० 271 हो गया है। जिसे सुधार हेतु आदेशकमण द्वारा आदेशन समर्पित किया गया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी, जीव प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक से मांग करे। अभिलेख दिनांक 12/9/19 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">                       अंचल अधिकारी,                      धनबाद।                 </p>	
12/9/19	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी का जीव प्रतिवेदन समर्पित। जीव प्रतिवेदन के अनुसार मौजा भूदा, मौजा नं० 48, खता नं० 26, प्लॉट नं० 171 रकबा 3.30 डिसमिल निबंधित दलील सं० 6515/11.11.2016 द्वारा खरीदगी भूमि है। जिसका दाखिल खारिज केश सं० 2201(11) 2018-17 द्वारा शेकर जमाबंदी सं० 2924 में लगान रवींद्र कवच मिश्रा वी रवींद्र मिश्रा के नाम से लगान रवींद्र निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज लिपिकीय मूलवश प्लॉट नं० 171 के स्थान पर 271 हो गया है। जिसे सुधार हेतु राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अनुशास किया गया है।</p> <p>अप हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है कि मौजा भूदा मौजा नं० 48, खता नं० 26 प्लॉट नं० 271 के हुए दाखिल खारिज केश सं० 2201(11) 2018-17 में लिपिकीय मूलवश प्लॉट नं० 171 के स्थान पर प्लॉट नं० 271 हो गया है। जिसे प्लॉट नं० 171 सुधार करने हेतु आदेश दिया जाता है। तदनुसार हल्का कर्मचारी को पजी 02 में सुधार हेतु निदेश दें।</p> <p>लेखापित एवं सहायित।</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">                               अंचल अधिकारी,                              धनबाद।                         </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">                               अंचल अधिकारी,                              धनबाद।                         </p> </div> </p>	

